लोक शिकायत (पीजी) सेल

विधि कार्य विभाग का पीजी सेल लोक शिकायतों का निपटान करता है जो ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन रूप से भी प्राप्त होती हैं । ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों का निपटान केंद्रीकृत लोक शिकायत निपटान और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के उपयोग के माध्यम किया जाता है । सीपीजीआरएएमएस एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है जो नागरिकों को 'सेवा प्रदाता' से संबंधित किसी विषय पर लोक प्राधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए हमेशा उपलब्ध है । शिकायतों का पता लगाने के लिए यूनिक पंजीकरण सं. सृजन प्रणाली के माध्यम से इस पोर्टल को सुगम बनाया गया है । हालांकि, इस प्रकार के मामले जैसे (i) किसी न्यायलय द्वारा दिए गए न्याय से संबंधित विचाराधीन मामले तथा अन्य मामले, (ii) वैयक्तिक और पारिवारिक झगड़ें, (iii) आरटीआई मामले, (iv) अन्य कोई मामले जो देश की क्षेत्रीय अखंडता और अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित है और (v) सुझावों का निवारण नहीं किया जाता है । इसके अलावा, ई-मेल के माध्यम से भेजी गयी शिकायतों का निपटान/निवारण नहीं किया जाएगा, और शिकायतकर्ता सीपीजीआरएएम पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं । अभी तक, वर्ष 2022 के दौरान लगभग चार हजार शिकायतों का निवारण किया गया ।